Dr. Shyama Prasad Mukherjee University

DEPT. OF COMMERCE

B.COM SEM – 2

PAPER: Corporate Law

TOPIC: Promoters/प्रवर्तक (UNIT-1 PART-4)

By: Harsha

---

## Promoters/प्रवर्तक:

**MEANING -** A promoter conceives an idea for setting-up a particular business at a given place and performs various formalities required for starting a company. A promoter may be a individual, firm, association of persons or a company. The persons who assist the promoter in completing various legal formalities are professional people like Counsels, Solicitors, Accountants etc. and not promoters. एक व्यवसाय को चलाने का विचार जो लाभप्रद रूप से किया जा सकता है, की कल्पना या तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा की जाती है, जिन्हें प्रवर्तक कहा जाता है। विचार की कल्पना के बाद, प्रवर्तक विचार की कमजोरियों और मजबूत बिंदुओं का पता लगाने के लिए, आवश्यक पूंजी की मात्रा निर्धारित करने और परिचालन व्यय और संभावित आय का अनुमान लगाने के लिए विस्तृत जांच करते हैं।

**Definitions/ परिभाषा :**

"A promoter is the one, who undertakes to form a company with reference to a given object and sets it going and takes the necessary steps to accomplish that purpose." —Justice C.J. Cokburn

"प्रवर्तक वह है जो किसी दिए गए वस्तु के संदर्भ में एक कंपनी बनाने और इसे चालू करने का कार्य करता है, और जो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है।" —Justice C.J. Cokburn

According to section 2(69) of the Companies Act, 2013 the term 'Promoter' can be defined as the following:

- A person who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return in section 92; or
- A person who has control over the affairs of the company, directly or indirectly whether as a shareholder, director or otherwise; or
- A person who is in agreement with whose advice, directions or instructions the Board of Directors of the company is accustomed to act.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(69) के अनुसार 'प्रवर्तक ' शब्द को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया जा सकता है:

- एक व्यक्ति जिसे एक प्रविवरणमें नाम दिया गया है या कंपनी द्वारा धारा 92 में वार्षिक रिटर्न में पहचाना गया है ; या

- एक व्यक्ति जिसका कंपनी के मामलों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण है, चाहे वह शेयरधारक, निदेशक या अन्यथा हो; या
- एक व्यक्ति जो कंपनी के निदेशक मंडल की सलाह, निर्देशों या निर्देशों से सहमत है, कार्य करने का आदी है।

In Twycross v. Grant, 1872 C.P.D. 469 case, the Court described a 'PROMOTER' as "one who undertakes to form a company with reference to a given project, and to set going, and who takes the necessary steps to accomplish that purpose."

ट्विक्रॉस बनाम ग्रांट, 1872 सी.पी.डी. 469 मामले में, कोर्ट ने एक 'प्रवर्तक' को "वह व्यक्ति जो किसी दिए गए प्रोजेक्ट के संदर्भ में एक कंपनी बनाने का उपक्रम करता है, और आगे बढ़ने के लिए, और जो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है" के रूप में वर्णित किया।

**Characteristics of a Promoter/ प्रवर्तक कीविशेषताएँ :**

The above given definitions bring out the following characteristics or features of a promoter:

1. A promoter conceives an idea for the setting-up a business. एक कंपनी बनाने के विचार की कल्पना करना और इसकी संभावनाओं का पता लगाना।

2. He makes preliminary investigations and ensures about the future prospects of the business. व्यवसाय की खरीद के लिए आवश्यक बातचीत करने के लिए यदि यह मौजूदा व्यवसाय के रूप में खरीदने का इरादा है। इस संदर्भ में जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की मदद ली जा सकती है।

3. He brings together various persons who agree to associate with him and share the business responsibilities. अपेक्षित संख्या में व्यक्तियों को एकत्र करना (अर्थात एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में सात और एक निजी कंपनी के मामले में दो) जो कंपनी के 'मेमोरेंडम ऑफ पार्षद सीमानियम और अन्तर्नियम ' और 'पार्षद सीमानियम और अन्तर्नियम के अनुच्छेद' पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और कार्य करने के लिए सहमत भी हो सकते हैं। कंपनी के पहले निदेशक के रूप में।

4. He prepares various documents and gets the company incorporated. वह विभिन्न दस्तावेज तैयार करता है और कंपनी को निगमित करवाता है।

5. He raises the required finances and gets the company going. वह आवश्यक वित्त जुटाता है और कंपनी को आगे बढ़ाता है।

**Kinds of Promoters/ प्रवर्तक के प्रकार:**

1. Professional Promoters: These are the persons who specialise in promotion of companies. They hand over the companies to shareholders when the business starts. In India, there is lack of professional promoters. In many other countries, professional promoters have played an important role and helped the business community to a great extent. In England, Issue Houses; In U.S.A., Investment Banks and in Germany, Joint Stock Banks have played the role of promoters very appreciably.

पेशेवर प्रवर्तक: ये वे व्यक्ति हैं जो कंपनियों के प्रचार में विशेषज्ञ हैं। व्यवसाय शुरू होने पर वे कंपनियों को शेयरधारकों को सौंप देते हैं। भारत में पेशेवर प्रवर्तककी कमी है। कई अन्य देशों में, पेशेवर प्रवर्तकने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और व्यापारिक समुदाय की काफी हद तक मदद की है।

इंग्लैंड में, इश्यू हाउस; संयुक्त राज्य अमेरिका में, निवेश बैंकों और जर्मनी में, संयुक्त स्टॉक बैंकों ने प्रवर्तकों की भूमिका बहुत सराहनीय रूप से निभाई है।

2. Occasional Promoters: These promoters take interest in floating some companies. They are not in promotion work on a regular basis but take up the promotion of some company and then go to their earlier profession. For instance, engineers, lawyers, etc. may float some companies.

समसामयिक प्रवर्तक: ये प्रवर्तक कुछ कंपनियां चलाने में दिलचस्पी लेते हैं। वे नियमित रूप से पदोन्नति के काम में नहीं होते हैं, लेकिन किसी कंपनी का प्रचार करते हैं और फिर अपने पहले के पेशे में चले जाते हैं। उदाहरण के लिए, इंजीनियर, वकील आदि कुछ कंपनियां चला सकते हैं।

3. Financial Promoters: Some financial institutions of financiers may take up the promotion of a company. They generally take up this work when financial environment is favourable at the time.

वित्तीय प्रवर्तक: फाइनेंसरों के कुछ वित्तीय संस्थान किसी कंपनी का प्रचार कर सकते हैं। वे आम तौर पर यह काम तब करते हैं जब उस समय वित्तीय वातावरण अनुकूल होता है।

4. Managing Agents as Promoters: In India, Managing Agents played an important role in promoting new companies. These persons used to float new companies and then got their Managing Agency rights. Managing Agency system has since long been abolished in India.

प्रवर्तकके रूप में एजेंटों का प्रबंध करना: भारत में, प्रबंध एजेंटों ने नई कंपनियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये व्यक्ति नई कंपनियां बनाते थे और फिर अपने प्रबंध एजेंसी के अधिकार प्राप्त करते थे। भारत में प्रबंध एजेंसी प्रणाली लंबे समय से समाप्त कर दी गई है।

5. Entrepreneur promoters -They conceive the idea of a new business unit, do the groundwork to establish it and may subsequently become a part of the management. They are both promoters and entrepreneurs.

उद्यमी प्रवर्तक- वे एक नई व्यावसायिक इकाई के विचार की कल्पना करते हैं, इसे स्थापित करने के लिए आधारभूत कार्य करते हैं और बाद में प्रबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। वे प्रवर्तक और उद्यमी दोनों हैं।

**Legal Position of Promoter/ प्रवर्तक की कानूनी स्थिति:**

The promoter is neither a trustee nor an agent of the company because there is no company yet in existence. The correct way to describe his legal position is that he stands in a fiduciary position towards the company about to be formed. Lord Cairns has correctly stated the position of promoter in Erlanger V. New Semberero Phophate Co. “The promoters of a company stand undoubtedly in a fiduciary position. They have in their hands the creation and moulding of the company. They have the power of defining how and when and in what shape and under what supervision, it shall start into existence and begin to act as a trading corporation.”

प्रवर्तक न तो ट्रस्टी है और न ही कंपनी का एजेंट है क्योंकि अभी तक कोई कंपनी अस्तित्व में नहीं है। अपनी कानूनी स्थिति का वर्णन करने का सही तरीका यह है कि वह बनने वाली कंपनी के प्रति एक भरोसेमंद स्थिति में खड़ा होता है। लॉर्ड केर्न्स ने Erlanger V. New Semberero Phophate Co. में

प्रवर्तक की स्थिति को सही ढंग से बताया है। "एक कंपनी के प्रवर्तक निस्संदेह एक भरोसेमंद स्थिति में खड़े होते हैं। उनके हाथों में कंपनी का निर्माण और मोल्डिंग है। उनके पास यह परिभाषित करने की शक्ति है कि कैसे और कब और किस आकार में और किस पर्यवेक्षण के तहत, यह अस्तित्व में शुरू होगा और एक व्यापारिक निगम के रूप में कार्य करना शुरू कर देगा।"

From the fiduciary position of promoters, the two important results follow:

- ✓ A promoter cannot be allowed to make any secret profits. If it is found that in any particular transaction of the company, he has obtained a secret profit for himself, he will be bound to refund the same to the company.
- ✓ The promoter is not allowed to derive a profit from the sale of his own property to the company unless all material facts are disclosed. If he contracts to sell his own property to the company without making a full disclosure, the company may either repudiate/rescind the sale or affirm the contract and recover the profit made out of it by the promoter.

प्रवर्तककी भरोसेमंद स्थिति से, दो महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

- ✓ एक प्रवर्तक को कोई गुप्त लाभ कमाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि यह पाया जाता है कि कंपनी के किसी विशेष लेनदेन में, उसने अपने लिए एक गुप्त लाभ प्राप्त किया है, तो वह कंपनी को उसे वापस करने के लिए बाध्य होगा।
- ✓ प्रवर्तक को कंपनी को अपनी संपत्ति की बिक्री से लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं है जब तक कि सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा नहीं किया जाता है। यदि वह पूर्ण प्रकटीकरण किए बिना कंपनी को अपनी संपत्ति बेचने का अनुबंध करता है, तो कंपनी या तो बिक्री को अस्वीकार/निरस्त कर सकती है या अनुबंध की पुष्टि कर सकती है और प्रवर्तक द्वारा इससे किए गए लाभ की वसूली कर सकती है।

**Liabilities of a Promoter/ एक प्रवर्तक की देयताएं:**

1. A promoter should not make secret profits out of the dealings of the company. क प्रवर्तक को कंपनी के सौदे से गुप्त लाभ नहीं बनाना चाहिए।

2. He must deposit with the company all money received on its behalf. उसे कंपनी की ओर से प्राप्त सभी धन को कंपनी के पास जमा करना होगा।

3. He must exercise due diligence and care while performing the work of a promoter. उसे एक प्रवर्तक का काम करते समय उचित परिश्रम और सावधानी बरतनी चाहिए।

4. He will be personally responsible for all the preliminary contracts till all these are approved by the company. वह सभी प्रारंभिक अनुबंधों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा जब तक कि इन सभी को कंपनी द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

5. He will compensate any person who made investments in the company on the basis of untrue statements made by the promoter. वह प्रवर्तक द्वारा दिए गए असत्य बयानों के आधार पर कंपनी में निवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को मुआवजा देगा।

**Functions of a Promoter एक प्रवर्तक के कार्य:**

*The Promoter Performs the following main functions:*

1. To conceive an idea of forming a company and explore its possibilities. एक कंपनी बनाने के विचार की कल्पना करना और इसकी संभावनाओं का पता लगाना।

2. To conduct the necessary negotiation for the purchase of business in case it is intended to purchase as existing business. In this context, the help of experts may be taken, if considered necessary. व्यवसाय की खरीद के लिए आवश्यक बातचीत करने के लिए यदि यह मौजूदा व्यवसाय के रूप में खरीदने का इरादा है। इस संदर्भ में जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की मदद ली जा सकती है।

3. To collect the requisite number of persons (i.e. seven in case of a public company and two in case of a private company) who can sign the 'Memorandum of Association' and 'Articles of Association' of the company and also agree to act as the first directors of the company. अपेक्षित संख्या में व्यक्तियों को एकत्र करना (अर्थात एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में सात और एक निजी कंपनी के मामले में दो) जो कंपनी के 'मेमोरेंडम ऑफ पार्षद सीमानियम और अन्तर्नियम ' और 'पार्षद सीमानियम और अन्तर्नियम  के अनुच्छेद' पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और कार्य करने के लिए सहमत भी हो सकते हैं। कंपनी के पहले निदेशक के रूप में।

4. To decide about the following/ निम्नलिखित के बारे में निर्णय लेना:

- The name of the Company, कंपनी का नाम,
- The location of its registered office, इसके पंजीकृत कार्यालय का स्थान,
- The amount and form of its share capital, इसके पंजीकृत कार्यालय का स्थान,
- The brokers or underwriters for capital issue, if necessary, पूंजी निर्गम के लिए दलाल या हामीदार, यदि आवश्यक हो,
- The bankers, बैंकर,
- The auditors, लेखा परीक्षक,
- The legal advisers. कानूनी सलाहकार।

5. To get the Memorandum of Association (M/A) and Articles of Association (A/A) drafted and printed. पार्षद सीमानियम और अन्तर्नियम का प्रारूप तैयार और मुद्रित करने के लिए।

6. To make preliminary contracts with vendors, underwriters, etc. विक्रेताओं, हामीदारों आदि के साथ प्रारंभिक अनुबंध करना।

7. To make arrangement for the preparation of prospectus, its filing, advertisement and issue of capital. विवरणिका तैयार करने, उसकी फाइलिंग, विज्ञापन और पूंजी जारी करने की व्यवस्था करना।

8. To arrange for the registration of company and obtain the certificate of incorporation. कंपनी के पंजीकरण की व्यवस्था करना और निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

9. To defray preliminary expenses. प्रारंभिक खर्चों को चुकाने के लिए।

10. To arrange the minimum subscription. न्यूनतम सदस्यता की व्यवस्था करना।

**Rights of Promoter/ प्रवर्तक के अधिकार:**

1. Right of indemnity: Where more than one person act as the promoters of the company, one promoter can claim against another promoter for the compensation and damages paid by him. Promoters are severally and jointly liable for any untrue statement given in the prospectus and for the secret profits.

क्षतिपूर्ति का अधिकार: जहां एक से अधिक व्यक्ति कंपनी के प्रवर्तक के रूप में कार्य करते हैं, एक प्रवर्तक दूसरे प्रवर्तक के खिलाफ मुआवजे और उसके द्वारा भुगतान किए गए नुकसान के लिए दावा कर सकता है। प्रविवरणमें दिए गए किसी भी असत्य बयान और गुप्त मुनाफे के लिए प्रवर्तक अलग-अलग और संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

2. Right to receive the legitimate preliminary expenses: A promoter is entitled to receive the legitimate preliminary expenses which he has incurred in the process of formation of the company such as cost of advertisement, fee of solicitor and surveyors. The right to receive the preliminary expenses is not a contractual right. It depends upon the discretion of the directors of the company. The claim for expenses should be supported by vouchers.

वैध प्रारंभिक व्यय प्राप्त करने का अधिकार: एक प्रवर्तक वैध प्रारंभिक खर्च प्राप्त करने का हकदार है जो उसने कंपनी के गठन की प्रक्रिया में किया है जैसे विज्ञापन की लागत, वकील और सर्वेक्षक का शुल्क। प्रारंभिक व्यय प्राप्त करने का अधिकार संविदात्मक अधिकार नहीं है। यह कंपनी के निदेशकों के विवेक पर निर्भर करता है। खर्चों का दावा वाउचर द्वारा समर्थित होना चाहिए।

3. Right to receive the remuneration: A promoter has no right against the company for his remuneration unless there is a contract to that effect. In some cases, articles of the company provide for the directors paying a specified amount to promoters for their services but this does not give the promoters any contractual right to sue the company. This is simply an authority vested in the directors of the company.

पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार: एक प्रवर्तक को कंपनी के खिलाफ उसके पारिश्रमिक के लिए कोई अधिकार नहीं है जब तक कि उस प्रभाव का कोई अनुबंध न हो। कुछ मामलों में, कंपनी के लेख निदेशकों को उनकी सेवाओं के लिए प्रवर्तकको एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए प्रदान करते हैं, लेकिन यह प्रवर्तकको कंपनी पर मुकदमा करने का कोई संविदात्मक अधिकार नहीं देता है। यह केवल कंपनी के निदेशकों में निहित एक अधिकार है।

The remuneration may be paid in any of the following ways:

- ✓ A commission may be paid to the promoter on the purchase price of the business or property taken over by the company through him.
- ✓ The promoters may be granted by the company a lumpsum amount.
- ✓ The promoters may be given fully or partly paid shares in consideration of their services rendered.
- ✓ The promoter may be given a commission at a fixed rate on the shares sold.
- ✓ The promoter may purchase the business or other property and sell the same to the company at an inflated price. He must disclose this fact.

- ✓ The promoters may take an option to subscribe within a fixed period for a certain portion of the company's unissued shares at par.

Whatever be the nature of remuneration, it must be disclosed in the prospectus if paid within the preceding two years from the date of prospectus.

पारिश्रमिक का भुगतान निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से किया जा सकता है:

- ✓ कंपनी द्वारा अपने द्वारा अधिग्रहित व्यवसाय या संपत्ति के खरीद मूल्य पर प्रवर्तक को एक कमीशन का भुगतान किया जा सकता है।
- ✓ कंपनी द्वारा प्रवर्तकको एकमुश्त राशि दी जा सकती है।
- ✓ प्रवर्तकको उनकी सेवाओं के प्रतिफल में पूर्ण या आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर दिए जा सकते हैं।
- ✓ बेचे गए शेयरों पर प्रवर्तक को एक निश्चित दर पर कमीशन दिया जा सकता है।
- ✓ प्रवर्तक व्यवसाय या अन्य संपत्ति खरीद सकता है और उसे कंपनी को बढ़े हुए मूल्य पर बेच सकता है। उसे इस तथ्य का खुलासा करना चाहिए।
- ✓ मोटर कंपनी के जारी न किए गए शेयरों के एक निश्चित हिस्से के लिए सममूल्य पर एक निश्चित अवधि के भीतर सदस्यता लेने का विकल्प ले सकते हैं।

पारिश्रमिक की प्रकृति चाहे जो भी हो, यदि प्रविवरणकी तारीख से पिछले दो वर्षों के भीतर भुगतान किया गया है, तो इसे प्रविवरणमें प्रकट किया जाना चाहिए।

**Duties of Promoter/ प्रवर्तक के कर्तव्य::**

***The duties of promoters are as follows:***

1. To disclose the secret profit: The promoter should not make any secret profit. If he has made any secret profit, it is his duty to disclose all the money secretly obtained by way of profit. He is empowered to deduct the reasonable expenses incurred by him.

गुप्त लाभ का खुलासा करने के लिए: प्रवर्तक को कोई गुप्त लाभ नहीं करना चाहिए। यदि उसने कोई गुप्त लाभ कमाया है, तो लाभ के रूप में गुप्त रूप से प्राप्त सभी धन का खुलासा करना उसका कर्तव्य है। उसे अपने द्वारा किए गए उचित खर्चों में कटौती करने का अधिकार है।

2. To disclose all the material facts: The promoter should disclose all the material facts. If a promoter contracts to sell the company a property without making a full disclosure, and the property was acquired by him at a time when he stood in a fiduciary position towards the company, the company may either repudiate the sale or affirm the contract and recover the profit made out of it by the promoters.

सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करने के लिए: प्रवर्तक को सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करना चाहिए। यदि कोई प्रवर्तक कंपनी को पूर्ण प्रकटीकरण किए बिना एक संपत्ति बेचने के लिए अनुबंध करता है, और संपत्ति उसके द्वारा उस समय अर्जित की गई थी जब वह कंपनी के प्रति एक भरोसेमंद स्थिति में खड़ा था, तो कंपनी या तो बिक्री को अस्वीकार कर सकती है या अनुबंध की पुष्टि कर सकती है और वसूली कर सकती है। इससे प्रवर्तकद्वारा अर्जित लाभ।

3. The promoter must make good to the company what he has obtained as a trustee: A promoters stands in fiduciary position towards the company. It is the duty of the promoter to

make good to the company what he has obtained as trustee and not what he may get at any time.

प्रवर्तक को ट्रस्टी के रूप में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उसे कंपनी को अच्छा करना चाहिए: एक प्रवर्तक कंपनी के प्रति प्रत्ययी स्थिति में खड़ा होता है। प्रवर्तक का यह कर्तव्य है कि वह कंपनी को ट्रस्टी के रूप में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसे अच्छा करे न कि वह जो उसे किसी भी समय मिल सकता है।

4. Duty to disclose private arrangements: It is the duty of the promoter to disclose all the private arrangement resulting him profit by the promotion of the company.

निजी व्यवस्थाओं का खुलासा करने का कर्तव्य: प्रवर्तक का यह कर्तव्य है कि वह सभी निजी व्यवस्था का खुलासा करे जिसके परिणामस्वरूप उसे कंपनी के प्रचार से लाभ हुआ।

5. Duty of promoter against the future allottees: When it is said the promoters stand in a fiduciary position towards the company then it does not mean that they stand in such relation only to the company or to the signatories of memorandums of company and they will also stand in this relation to the future allottees of the shares.

भावी आवंटियों के प्रति प्रवर्तक का कर्तव्य: जब यह कहा जाता है कि प्रवर्तक कंपनी के प्रति एक भरोसेमंद स्थिति में खड़े हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे केवल कंपनी या कंपनी के ज्ञापनों के हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए इस तरह के संबंध में खड़े हैं और वे इस संबंध में भविष्य के आवंटियों के साथ भी खड़े होंगे।

**Pre-Incorporation Contract/ पूर्व निगमन अनुबंध कानून:**

A pre incorporation contract is one which is purportedly made by or on behalf of a corporation at a time when the corporation has not yet been incorporated. Because the corporation named in the promoter's contract has not been formed at the time the contract is made, the corporation when formed is not bound by the contract. However, adoption of the contract is anticipated by the parties to the contract. If the corporation in fact adopts the contract, then it will assume those rights and liabilities set out in the contract.

When a promoter enters into a contract on behalf of a corporation to be formed, the promoter may be considered personally liable to meet the obligations of the corporation if for some reason the corporation is not formed or does not adopt the contract. When the pre-incorporation contract is made, the corporation is not in existence and therefore cannot be a party to the contract. The promoter thus must be a party to the contract, and, under agency law principles, the promoter will be personally bound as an agent acting on behalf of a non-existent principal.

एक पूर्व निगमन अनुबंध वह होता है जो किसी निगम द्वारा या उसकी ओर से ऐसे समय में किया जाता है जब निगम अभी तक शामिल नहीं हुआ है। चूंकि प्रवर्तक के अनुबंध में नामित निगम का गठन अनुबंध के समय नहीं किया गया है, इसलिए निगम बनने पर अनुबंध से बाध्य नहीं है। हालांकि, अनुबंध के पक्षकारों द्वारा अनुबंध को अपनाने का अनुमान है। यदि निगम वास्तव में अनुबंध को अपनाता है, तो वह अनुबंध में निर्धारित उन अधिकारों और देनदारियों को ग्रहण करेगा।

जब एक प्रवर्तक एक निगम के गठन की ओर से एक अनुबंध में प्रवेश करता है, तो प्रवर्तक को निगम के दायित्वों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जा सकता है यदि किसी कारण से

निगम का गठन नहीं होता है या अनुबंध को नहीं अपनाता है। जब पूर्व-निगमन अनुबंध किया जाता है, तो निगम अस्तित्व में नहीं होता है और इसलिए अनुबंध का एक पक्ष नहीं हो सकता है। इस प्रकार प्रवर्तक को अनुबंध का एक पक्ष होना चाहिए, और एजेंसी कानून के सिद्धांतों के तहत, प्रवर्तक एक गैर-मौजूद प्रिंसिपल की ओर से अभिनय करने वाले एजेंट के रूप में व्यक्तिगत रूप से बाध्य होगा।

**Steps In Incorporation of a Company/ एक कंपनी के निगमन में कदम:**

1. Ascertaining Availability of Name:

The first step in the incorporation of any company is to choose an appropriate name. A company is identified through the name it registers. The name of the company is stated in the memorandum of association of the company. The company's name must end with 'Limited' if it's a public company and 'Private Limited' if its a private company. To check whether the chosen name is available for adoption, the promoters have to write an application to the Registrar of Companies of the State. A 500 rupee is paid with the application. The Registrar then allows the company to adopt the name given they fulfill all legal documentation formalities within a period of three months.

नाम की उपलब्धता का पता लगाना - किसी भी कंपनी के निगमन में पहला कदम एक उपयुक्त नाम चुनना है। एक कंपनी की पहचान उसके पंजीकृत नाम से होती है। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ पार्षद सीमानियम और अन्तर्नियम में कंपनी का नाम बताया गया है। कंपनी का नाम 'लिमिटेड' के साथ समाप्त होना चाहिए यदि यह एक सार्वजनिक कंपनी है और 'प्राइवेट लिमिटेड' अगर यह एक निजी कंपनी है । यह जांचने के लिए कि क्या चुना गया नाम गोद लेने के लिए उपलब्ध है, प्रवर्तकको राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एक आवेदन लिखना होगा। आवेदन के साथ 500 रुपये का भुगतान किया जाता है। रजिस्ट्रार तब कंपनी को नाम अपनाने की अनुमति देता है, क्योंकि वे तीन महीने की अवधि के भीतर सभी कानूनी दस्तावेज औपचारिकताओं को पूरा करते हैं।

2. Preparation of Memorandum of Association and Articles of Association

The memorandum of association of a company can be referred to as its constitution or rulebook. The memorandum states the field in which the company will do business, objectives of the company, as well as the type of business the company plans to undertake. It is further divided into five clauses

- ✓ Name Clause
- ✓ Registered Office Clause
- ✓ Objects Clause
- ✓ Liability Clause
- ✓ Capital Clause

Articles of Association is basically a document that states rules which the internal management of the company will follow. The article creates a contract between the company and its members. The article mentions the rights, duties, and liabilities of the members. It is equally binding on all the members of the company.

पार्षद सीमानियम और अन्तर्नियम की तैयारी:

किसी कंपनी के पार्षद सीमानियम को उसके संविधान या नियम पुस्तिका के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। ज्ञापन में कहा गया है क्षेत्र है जिसमें कंपनी के व्यापार, कंपनी के उद्देश्यों को करना होगा,

साथ ही व्यापार कंपनी की योजना शुरू करने के लिए के प्रकार। इसे आगे पाँच खंडों में विभाजित किया गया है

- ✓ नाम खंड
- ✓ पंजीकृत कार्यालय खंड
- ✓ उद्देश्य खंड
- ✓ दायित्व खंड
- ✓ पूंजी खंड

अन्तर्नियम मूल रूप से एक दस्तावेज है जो उन नियमों को बताता है जिनका कंपनी का आंतरिक प्रबंधन पालन करेगा। लेख कंपनी और उसके सदस्यों के बीच एक अनुबंध बनाता है। लेख में सदस्यों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख है । यह कंपनी के सभी सदस्यों पर समान रूप से बाध्यकारी है।

3. Printing, Signing and Stamping, Vetting of Memorandum and Articles:

The Registrar of Companies often helps promoters to draw up and draft the memorandum and articles of association. Above all, with promoters who have no previous experience in drafting the memorandum and articles. Once these have been vetted by the Registrar of Companies, then the memorandum of association and articles of association can be printed. The memorandum and articles are consequently divided into paragraphs and arranged chronologically. The articles have to be individually signed by each subscriber or their representative in the presence of a witness, otherwise, it will not be valid.

मुद्रण, हस्ताक्षर और स्टाम्पिंग, ज्ञापन और लेखों की जांच:

कंपनी रजिस्ट्रार अक्सर प्रवर्तकको ज्ञापन और पार्षद सीमानियम और अन्तर्नियम के लेखों को तैयार करने और मसौदा तैयार करने में मदद करता है। इन सबसे ऊपर, उन प्रवर्तकके साथ जिनके पास ज्ञापन और लेखों का मसौदा तैयार करने का कोई पिछला अनुभव नहीं है। एक बार जब कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा इनकी जांच कर ली जाती है, तो पार्षद सीमानियम के ज्ञापन और पार्षद सीमानियम और अन्तर्नियम के लेख मुद्रित किए जा सकते हैं। ज्ञापन और लेखों को परिणामस्वरूप पैराग्राफ में विभाजित किया जाता है और कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक ग्राहक या उनके प्रतिनिधि द्वारा गवाह की उपस्थिति में लेखों पर व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, अन्यथा, यह मान्य नहीं होगा।

4. Power of Attorney:

To fulfill the legal and complex documentation formalities of incorporation of a company, the promoter may then employ an attorney who will have the authority to act on behalf of the company and its promoters. The attorney will have the authority to make changes in the memorandum and articles and moreover, other documents that have been filed with the registrar.

पावर ऑफ अटॉर्नी:

किसी कंपनी के निगमन की कानूनी और जटिल दस्तावेज़ीकरण औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए, प्रवर्तक तब एक वकील को नियुक्त कर सकता है जिसके पास कंपनी और उसके प्रवर्तक की

ओर से कार्य करने का अधिकार होगा। अटॉर्नी के पास ज्ञापन और लेखों में परिवर्तन करने का अधिकार होगा और इसके अलावा, अन्य दस्तावेज जो रजिस्ट्रार के पास दायर किए गए हैं।

5. Other Documents to be Filed with the Registrar of Companies

The First – e-Form No.32 – Consent of directors

The Second – e-Form No.18 – Notice of Registered Address

The Third – e-Form No.32. – Particulars of Directors

कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए जाने वाले अन्य दस्तावेज:

पहला - ई-फॉर्म नंबर 32 - निदेशकों की सहमति

दूसरा - ई-फॉर्म नंबर 18 - पंजीकृत पते की सूचना

तीसरा - ई-फॉर्म नंबर 32। - निदेशकों का विवरण

6. Statutory Declaration in e-Form No.1:

This declaration, furthermore states that 'All the requirements of the Companies Act and the rules thereunder have been compiled with respect of and matters precedent and incidental thereto.

ई-फॉर्म नंबर 1 . में वैधानिक घोषणा:

इस घोषणा में आगे कहा गया है कि 'कंपनी अधिनियम और उसके तहत नियमों की सभी आवश्यकताओं को इसके संबंध में संकलित किया गया है और इसके उदाहरण और प्रासंगिक मामलों को संकलित किया गया है।

7. Payment of Registration Fees:

A prescribed fee is to be paid to the Registrar of Companies during the course of incorporation. It depends on the nominal capital of the companies which also have share capital.

पंजीकरण शुल्क का भुगतान:

निगमन के दौरान कंपनी रजिस्ट्रार को एक निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाना है। यह उन कंपनियों की नाममात्र पूंजी पर निर्भर करता है जिनके पास शेयर पूंजी भी होती है।

8. Certificate of Incorporation:

If the Registrar is completely satisfied that all requirements have been fulfilled by the company that is being incorporated, then he will register the company and issue a certificate of incorporation. As a result, the incorporation certificate provided by the Registrar is definite proof that all requirements of the Act have been met.

निगमन का प्रमाण पत्र

यदि रजिस्ट्रार पूरी तरह से संतुष्ट है कि निगमित होने वाली कंपनी द्वारा सभी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है, तो वह कंपनी को पंजीकृत करेगा और निगमन का प्रमाण पत्र जारी करेगा। नतीजतन,

रजिस्ट्रार द्वारा प्रदान किया गया निगमन प्रमाण पत्र निश्चित प्रमाण है कि अधिनियम की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है।

प्रारुप 1

पंजीकरण प्रमाण–पत्र

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U72200DL2010PTC212030 2010 - 2011

मैं एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि मैसर्स

RMA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

का पंजीकरण, कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत आज किया जाता है और यह कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड है।

यह निगमन–पत्र आज दिनांक इकतीस दिसम्बर दो हजार दस को मेरे हस्ताक्षर से दिल्ली में जारी किया जाता है।

Form 1

Certificate of Incorporation

Corporate Identity Number : U72200DL2010PTC212030 2010 - 2011

I hereby certify that RMA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED is this day incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) and that the company is private limited.

Given under my hand at Delhi this Thirty First day of December Two Thousand Ten

(ANITA KLAIR)

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार / Assistant Registrar of Companies

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

National Capital Territory of Delhi and Haryana

कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध पत्राचार का पता :

Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:

RMA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

703, VISHWA SADAN, DISTRICT CENTER, JANAKPURI, NEW DELHI - 110058,

Delhi, INDIA